संख्या-04/2023/ई-2292351/60-3-2022-सी-337488/19

प्रेषक,

सुनील कुमार यादव,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 02 फरवरी, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड के अन्तर्गत संचालित संस्था को अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2022-23 में उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित संस्था लीलावती मुंशी निराश्रित बालगृह (बालिका) मोतीनगर, लखनऊ के संचालन हेतु धनराशि रू0-2,86,500/- (रूपये दो लाख छियासी हजार पांच सौ मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(2) यह धनराशि आहरित करके उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(4) सम्बन्धित बिल निदेशक, महिला कल्याण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसका आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-107-स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-05-स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं की सहायता-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)'' के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,
(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4- वित्त एवं लेखा अधिकारी, महिला कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।